न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

वाद संख्या :— 02 / 109 / 2017

तुलसीदास बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 22.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.09.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1203 / 0.07 है. वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा आदेश की पालना में तलबी हेतु नोटिस की पालना नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बार बार अवसर दिए जाने के बाद भी नोटिस प्रस्तुत कर तामील बाबत् प्रार्थी की ओर से पालना नहीं किए जाने के कारण अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1203 / 0.07 है. वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)